

प्रपत्र - क

(नियम 3(1)देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

आई०डी०स०..... दिनांक..... (कार्यालय प्रयोग के लिए)
सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी (विभाग / कार्यालय).....

1. आवेदक का नाम:-.....
 2. आवेदक के पिता/पति का नाम.....
 3. (क)आवेदक का स्थायी पता:-.....

ग्राम/मुहल्ला नगर/पंचायत
 बाई न०/हो०न०/स०न० डाकघर
 पुलिस स्टेशन जिला

(ख) आवेदक का पत्राचार का पता:-

ग्राम/मुहल्ला..... नगर/पचायत.....
 वार्ड नं०/हो०न०/स०न०..... डाकघर.....
 पुलिस स्टेशन..... जिला.....

(ग) ई-मेल का पता (अपर कोई हो):—

(घ) दूरभाष संख्या (आवास) कार्यालय

4. माँगी गई सूचना का व्यौरा (संक्षिप्त में दे):-

5. घोषणा:- मैं एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी पुरी जानकारी में मॉगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-08एवं 09 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग / कार्यालय से सम्बन्धित है।

6. शुल्क का विवरण:-

- मैंने रूपये का शुल्क के रूप में मारतीय पोस्टलऑफर (या) नन जुडिसियल स्टाम्प पेपर (या) डिमांड ड्राफ्ट / बैंक ड्राफ्ट (या) संबंधित कर्यालय में नगद भुगतान कर दीया हूँ। जो लोक सुचना पदाधिकारी सह पदाधिकारी के नाम से इस आवेदन (प्रपत्र—क) के साथ संलग्न कर दीया हूँ।

7. मैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार का सदस्य हूँ। मेरा वांकित सर्टिफिकेट / कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।

स्थान
दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान

प्रपत्र - 'ख'
(नियम 3(1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्राप्ति-रसीद

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय)

आई० डी० सी० तिथि

1. सूचना का अधिकारी नियमावली, 2006 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत विहित प्रपत्र 'क' में आवेदन दिनांक को श्री/श्रीमती/कुमारी ग्राम/मुहल्ला पोस्ट जिला से प्राप्त किया ।
2. सूचना तीस दिनों के अंदर दी जाएगी । अगर यह पाया जाता है कि याचित सूचना देना सम्भव नहीं है, तो उसका कारण दिखाते हुए अथवा अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए एक पत्र निर्गत किया जाएगा ।
3. आवेदन 11.00 बजे पूर्वाहन से 1.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी से दिनांक (यहाँ तिथि का उल्लेख करें जो आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों के बाद की न हो) को सम्पर्क करें ।
4. अगर आवेदक निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होंगे तो लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने में विलंब के लिए जबावदेह नहीं होगा ।
5. सूचना और अभिलेख प्राप्त करने के पूर्व अगर कोई राशि, फोस अथवा शुल्क देय है, तो आवेदक को जमा करना होगा ।

लोक सूचना पदाधिकारी

विभाग/कार्यालय का नाम :

दूरभाष संख्या :

ई-मेल :

बेबाईट :

नोट :- (जो लागू न हो उसे काट दें)